भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2452

दिनांक 10 अगस्त, 2021 को उत्तर देने के लिए

कार्यकारी अधिकारियों के आईडीए पर रोक लगाना

2452. श्री संजय सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में सरकारी निदेशों के आधार पर केवल कार्यकारी अधिकारियों के औद्योगिक मंहगाई भत्ते (आईडीए) को ही बंद किया गया था;

(ख) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सिर्फ कार्यकारी अधिकारियों को संशाधित आईडीए का भुगतान करने में वहनीयता संबंधी बाध्यता दर्शाई है;

(ग) क्या सरकार, महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के कार्यकारी अधिकारियों को औद्योगिक मंहगाई भत्ते का भुगतान करने का वित्तीय बोझ उठाएगी, यदि नहीं तो ऐसे निदेश के क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार को सीपीएसई कार्यकारी अधिकारियों के मंहगाई भत्ते की रोकी गई धनराशि पर प्रत्यक्ष कर में नुकसान हुआ है;

(ङ) क्या मंहगाई भत्ते पर रोक लगने से उनकी क्रय शक्ति प्रभावित हुई है और इसलिए इसने कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक मंदी को बढ़ावा दिया है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(डॉ. भागवत किशनराव कराड)

(क) से (ग): केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) में कर्मचारियों के लिए केंद्रीय डीए (सीडीए) और औद्योगिक डीए (आईडीए) वेतन पैटर्न दोनों का पालन किया जाता है। दिनांक 01.01.2020 से 30.06.2021 तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में डीए को फ्रीज करने के लिए केंद्रीय शासन के दिनांक 23.04.2020 के आदेश अनुरूप, इसे 28.04.2020 को सीडीए पैटर्न पर वेतनमान आहरित करने वाले कर्मचारियों के लिए लागू किया गया था। इसी प्रकार, लोक उद्यम विभाग द्वारा दिनांक 19.11.2020 को औद्योगिक डीए (आईडीए) आहरण करने वाले सीपीएसईज़ के कार्यपालकों और गैर-संघीय पर्यवेक्षकों के संबंध में दिनांक 01.10.2020 से 30.06.2021 तक डीए को फ्रीज करने के दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, वेतन, अनुलाभों और भत्तों पर होने वाले व्यय को सीपीएसईज़ द्वारा अपने संसाधनों से वहन किया जाना होता है।

(घ) और (ङ): लोक उद्यम विभाग द्वारा ऐसा कोई डेटा नहीं रखा जाता है ।

****